<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1, फैजाबाद।</u>

सत्र परीक्षण सं० 46/2021

<u>राज्य बनाम मो० बिलाल</u>

<u>आरोप</u>

मैं, पूजा सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1, फैजाबाद आप अभियुक्त मो० बिलाल को निम्नरूपेण आरोपित करती हूँ–

यह कि दिनांक 08–09–2020 को समय करीब 01.45 बजे बहद फतेपुर सरैया तिराहा, थाना–कैण्ट, जिला फैजाबाद में प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा व अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा आपके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर तथा तीन अदद कारतूस 12 बोर बरामद किया गया, जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था। आपका उक्त कृत्य धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतद्द्वारा मैं यह निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

(पूजा सिंह)
दिनांक 15–03–2021 अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं०–1,
फैजाबाद ।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया और विचारण की याचना किया ।

(पूजा सिंह)
दिनांक 15–03–2021 अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं०–1,
फैजाबाद ।